न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1547 दिनांक 22/11/2021

प्रार्थीगण :-
1.चेतनराम 2.दयाराम 3.मेवाराम पि.
खानूराम, जातियान मेघवाल
निवासी गुमाने का तला
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

विप्रार्थीगण:-
1.दलाराम पुत्र मेहराराम वगैरा
एवं विप्रार्थी सं. 2 से 27
निवासी गुमाने का तला
28.तहसीलदार चौहटन

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |

राजस्व आवेदन सं. 01/2019 दिनांक : **17.11.2021**

आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र गुमाने का तला के मौजा गुमाने का तला के खेत खसरा सं. 17 रकबा 51.15 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू किसी स्थाई/मुस्तकिल बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीश रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2021/ 1548 to 1551 दिनांक 22/11/2021

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण चेतनराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण दलाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बाखासर/धोरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2021.12.27 16:45:57 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन